18/3/26

पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उपर जांच उपस्थित
नायब पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
रिपोर्ट शामिल किया जाकर तहसीलदार के नाम पत्र
जारी हो। नंबर मे दर्ज हो।

आदेश सुनाया जाकर

GCMS 2025/530

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–223/2025 (जी.सी.एम.एस. नं. 2025/530) दिनांकः–13.08.2025

–:: अनवान ::–

1.धनराज पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1.पृथ्वीराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2.दुलीचन्द
3.लालचन्द } पिसरान सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़
4.सावित्री

5.तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.लेखराज देरासरी वकील प्रार्थी

2.श्री शिशपाल शर्मा व श्री योगेश कुमार शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 18 मार्च 2026

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 5 डी.डब्लयू.एम. खाता संख्या 25/22 पत्थर नं. 155/56 (52) के किला नं. 13 ता 15 की 0.759, प.नं. 156/56 (57) किला नं 6 ता 8 की 0.759 हैक्टर, प.नं. 156/63(53) के किला नं. 11–12 की 0.506, प.नं. 156/64(56) किला नं. 3/1, 3/2, 4 की 0.506 अ.क. मय खाला इस प्रकार कुल 2.530 हैक्टर क0/अ0क0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इसी चक के खाता संख्या 40/38 के पत्थर नं. 156/55 (52) के किला नं. 12,18,23/2 की 0.734 हैक्टर क0, पत्थर नं. 156/63 (53) किला नं. 8,9,13,18,23/2 की 1.240 हैक्टर क0, प.नं. 156/64 (56) किला नं. 7/2, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 12/3, 13/2, 18/2, 20/1, 20/2, 20/3 की 2.366 हैक्टर अ0क0 मय खाला इस प्रकार तीनों पत्थरों व मु0न0 की कुल 3.100 हैक्टर क0/अ0क0 मय खाला खातेदारी भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 4 का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा यानि 0.620 हैक्टर बनता है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से इसी चक के खाता संख्या 31/28 के पत्थर नं 156/55 (52) के कि[illegible] 20,21/2 की 0.987 हैक्टर, प.नं. 156/56 (57) के किला नं. 3, 16, 17, [illegible] 156/63 (53) किला नं. 10, प.नं. 156/64 (56) किला नं. 11 की 0.253 [illegible] हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 5 डी.डब्लयू.एम. के पत्थर नं. 156/55 (52) के किला नं. 13 ता 15 में इसी पत्थर नं. 156/55 के किला नं. 18–23 जो कि [illegible] व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से होकर प्रवेश करता है। प्रार्थी प.नं. 156/55 (52) के किला नं. 18 व 23

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:43 IST
Reason: SelfAttested

के पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर की ओर दोनों किलाजात 18 व 23 प्रत्येक में 0.019 कुल 0.038 रास्ता मंजुर करवाना चाहता है। इसके लिये प्रार्थी के हिस्सा में से 0.038 हैक्टर भूमि रास्ता अंकित कर दी जावे। प्रार्थी अपने नाम की भूमि वाके चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. पत्थर नं. 156/56 (57) किला नं. 6 ता 8 में इसी पत्थर नम्बर के किला नं. 3 जो अप्रार्थी 1 के नाम से अंकित है में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित पत्थर नं. 156/56 (57) के किला नं. 3 के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की ओर 0.019 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जावे। अन्य कोई रास्ता नही लगता है। कृप्या प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार नही की गई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है। जो कि सार्वजनिक रास्ता लगता है। नवीन रास्ता की मांग नही कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 के पत्थर नं. 156/64 के किला नं. 11 व पत्थर नं. 156/56 के किला नं. 16–17–24 के रकबा को व पत्थर नं. 156/63 के किला नं. 10 व पत्थर नं. 156/55 के किला नं. 6 के रकबा को भी स्वीकृत शुदा रास्ता नही लगता है। अप्रार्थी लालचन्द के पत्थर नं. 156/56 के किला नं. 13 ता 15 व 156/64 के किला नं. 9,10 के रकबा भी स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपने संयुक्त रकबा के पत्थर नं. 156/63 के किला नं. 8,9,13,18,23 के रकबा जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण का 1/5, 1/5 हिस्सा है। आपसी घरू बंटवारा अनुसार ही काश्त कर रहें है। संयुक्त हिस्सा में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। उक्त सयुंक्त खाता का रकबा प्रार्थी की एकल खाता की भूमि कर लगता है। इसलिये नया रास्ता स्वीकृत करने की मांग नही कर सकता है। खाता विभाजन से पूर्व रास्ता की मांग नही कर सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। यदि फिर भी रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो पत्थर नं. 156/63 के किला नं. 13,18,23 के पूर्वी पासा में 1–1 बिस्वा तथा पत्थर नं. 156/64 के किला नं. 1,10,11 के पश्चिमी पासा में 1–1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण में रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा उक्त रास्ता के बदला में रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि कम की जावे तथा रकबा के बदला में किला नं. 6 में रकबा अप्रार्थीगण को दिलाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी धनराज द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 25/22 के पत्थर नं. 156/55 (52) के किला नं. 13 ता 15, पत्थर नं. 156/63 (53) के किला नं. 11–12 व पत्थर नं. 156/56 (57) के किला नं. 6 ता 8 में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 25/22 के पत्थर नं. 156/55 (52) के किला नं. 13 ता 15, पत्थर नं. 156/63 (53) के किला नं. 11–12 में आवागमन हेतु चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 156/55(55) के किला नं. 18–23 में 0.019 हैक्टर–0.019 हैक्टर कुल 0.038 हैक्टर पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता की भूमि प्रार्थी के हिस्सा में से कम की जाकर गै0मु0 रास्ता अंकित की जावे। प्रार्थी के नाम अंकित खातेदारी भूमि पत्थर नं. 156/56 (57) के किला नं. 6 ता 8 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से अंकित पत्थर नं. 156/56(57) के किला नं. 3 में 0.019 हैक्टर पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता 0.[illegible] बदला में प्रार्थी के नाम अंकित खातेदारी भूमि पत्थर नं. 156/56 (57) के किला नं. 8 के [illegible] में पूर्व से पश्चिम 0.019 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से खातेदारी दर्ज करके आ[illegible] दिया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता के बदला में जिसे राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता अंकित किया जावे। [illegible] स्वीकृत रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible] जावे। पत्रावली नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 18:36:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)